Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013
(BHADRA 15, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 6th September, 2013

No. 13—HLA of 2013/58.—The Haryana Canal And Drainage (Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 13—HLA of 2013

THE HARYANA CANAL AND DRAINAGE (AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Haryana Canal and Drainage Act, 1974.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Act, 2013. Short title.

2. In section 2 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 (hereinafter called the principal Act),– Amendment of section 2 of Haryana Act 29 of 1974.

(i) after clause (9), the following clause shall be inserted, namely:–

"(9A) 'sewage' means effluent from any sewerage system and includes sullage from open drainage;"; and

(ii) after clause (12), the following clause shall be inserted, namely:-

"(12A) 'trade effluent' includes any liquid, gaseous or solid substance, which is discharged from any premises used for carrying out any industrial operation or process or treatment and disposal system, other than domestic sewage;".

Amendment of section 5 of Haryana Act 29 of 1974.

3. In clause (b) of section 5 of the principal Act, the word "unlined" shall be omitted.

Amendment of section 58 of Haryana Act 29 of 1974.

4. In section 58 of the principal Act,-

(i) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:-

"(k) discharges any sewage or trade effluent into a Canal,";

(ii) for the existing para after clause (k), the following para shall be substituted, namely:-

"shall, in respect of offences under clauses (a), (b), (c), (g) and (k) above, be liable on conviction to a fine not exceeding five thousand rupees or imprisonment not exceeding six months or both and in case of continuing offence/contravention, with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every subsequent day. In respect of other offences, the offender shall be liable on conviction to a fine not exceeding one thousand rupees or imprisonment not exceeding one month, or both.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present section 5 of the Haryana Canal & Drainage Act, 1974 empowers to prohibit installation of any tubewell by prescribing a distance from the existing State tubewell, unlined irrigation channel & minor. The unlined channels are protected by this act however, this provision is not applicable to the lined channels. As majority of channels have been lined now, so it is proposed to amend the act by prohibiting the existing distances for the lined channels as well. The objective of this change is to control the damage of lined as well as unlined channels by not allowing the installation of tubewells within a specified distance from these channels/State tubewells. Accordingly, section 5(b) of Haryana Canal & Drainage Act, 1974 needs to be amended.

The section 58 of Haryana Canal & Drainage Act, 1974 deals with various offences/penalties regarding obstruction of flow of water & damage to canal system etc. in order to check the pollution of water bodies by industrial effluent and domestic wastes, this section 58 is proposed to be strengthened by introducing a new clause (K) by making discharge of sewage/trade effluent into canal as an offence, to save the environment. The objective of this amendment is to protect water bodies and to provide clean & safe water at the tail end. Further, it has been felt that existing penalties are not sufficient and do not act as strong deterrent for smooth & safe running of water in the channel & distributary. It is therefore, proposed to increase the fine to avoid the pollution of water bodies . Accordingly, sections 2 & 58 of Haryana Canal & Drainage Act, 1974 needs to be amended.

HARMOHINDER SINGH CHATTHA,
Irrigation Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 6th September, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[*प्राधिकृत अनुवाद*]

2013 का विधेयक संख्या 13 - एच०एल०ए०

हरियाणा नहर तथा जल - निकास (संशोधन) विधेयक, 2013

हरियाणा नहर तथा जल - निकास अधिनियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नहर तथा जल-निकास (संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है।

1974 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा नहर तथा जल-निकास (संशोधन) अधिनियम, 1974 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (9) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(9क) 'मल-जल' से अभिप्रेत है, किसी मलवहन प्रणाली से बहि:स्राव तथा इसमें खुले जल-निकास से मैला पानी भी शामिल है;"; तथा

(ii) खण्ड (12) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(12क) 'व्यवसायिक बहि:स्राव' में शामिल है, कोई द्रव, गैसीय अथवा ठोस पदार्थ, जो घरेलू मल-जल से अन्यथा किसी औद्योगिक संचालन अथवा प्रक्रिया अथवा संसाधित तथा निपटान प्रणाली कार्यान्वित करने हेतु प्रयुक्त किन्हीं परिसरों से छोड़ा जाता है;"।

1974 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (ख) में, "कच्ची" शब्द को लोप कर दिया जाएगा।

1974 के हरियाणा अधिनियम 29 की धारा 58 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 58 में,–

(i) खण्ड (ञ) के बाद, विद्यमान "," चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ञ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ट) किसी नहर में कोई मल-जल अथवा व्यवसायिक बहि:स्राव छोड़ता है,";

(iii) खण्ड (ट) के बाद, विद्यमान पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"तो उपर्युक्त खण्ड (क), (ख), (ग), (छ) तथा (ट) के अधीन अपराधों के बारे में, दोषसिद्धि पर, पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माने अथवा छह मास से अनधिक कारावास अथवा दोनों, और निरन्तर अपराध/उल्लंघना की दशा में अतिरिक्त जुर्माने जो प्रत्येक पश्चात्वृति दिन के लिए पांच सौ रुपये तक हो सकता है, से दायी होगा। अन्य अपराधों के बारे में, अपराधी दोषसिद्धि पर, एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माने अथवा एक मास से अनधिक कारावास, अथवा दोनों से दायी होगा।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

वर्तमान में हरियाणा नहर एवं जल-निकास अधिनियम, 1974 की धारा 5 मे किसी भी नलकूप को लगाने के लिए, विद्यमान सरकारी नलकूप, कच्ची सिंचाई नहर और माईनर की दूरियाँ निश्चित करने की शक्तियाँ प्रदत्त हैं। इस अधिनियम द्वारा कच्ची सिंचाई नहर तो संरक्षित हैं परन्तु यह अधिनियम पक्की नहरों पर लागू नहीं है, क्योंकि अब अधिकतम नहरें पक्की हो चुकी हैं, इसलिए अधिनियम में दी गई दूरी को पक्की नहरों के लिए भी लागू करने के लिए, इस अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है। इस बदलाव का उद्देश्य है कि कच्ची नहरों के साथ-साथ पक्की नहरों की क्षति को रोका जाए और नहरों/सरकारी नलकूपो से एक निश्चित दूरी पर ही कोई नलकूप लगाने पर नियंत्रण रखा जा सके। तदानुसार हरियाणा नहर एवं जल-निकास अधिनियम, 1974 की धारा 5 बी में संशोधन की आवश्यकता है।

हरियाणा नहर एवं जल-निकास अधिनियम, 1974 की धारा 58, नहर प्रणाली में जल प्रवाह में बाध और नहर प्रणाली को क्षति इत्यादि से रोकने हेतु विभिन्न अपराधों/दण्ड इत्यादि का प्रावधान करती है। औद्योगिक अवशेष व घरेलू कचरे से जल स्रोतों को प्रदूषण से रोकने को सुनिश्चित करने के लिए धारा 58 को सुदृढ़ करने के लिए नया खण्ड (ट) प्रस्तावित है जिसके द्वारा नहर में मल/औद्योगिक प्रवाह का निर्वहन एक अपराध माना जाएगा, ताकि जल स्रोतो के पर्यावरण को बचाया जा सके। इस संशोधन का उद्देश्य है कि जल निकासों की रक्षा और साफ तथा सुरक्षित जल अन्तिम छोर तक उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया है कि वर्तमान में प्रदत्त दंड पर्याप्त नहीं है और नहरों तथा रजबाहों में धारा प्रवाह और सुरक्षित जल बहाव के विरुद्ध रूकावट हेतु सक्षम और सशक्त नहीं हैं इसलिए जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने हेतु वर्तमान जुर्माने को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। तदानुसार हरियाणा नहर एवं जल-निकास अधिनियम, 1974 की धारा 2 व 58 में संशोधन की आवश्यकता है।

हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा,
सिंचाई मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 6 सितम्बर, 2013.

सुमित कुमार,
सचिव।

51477—H.V.S.—H.G.P., Chd.